भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2692

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: सेब तथा अखरोट के बागानों का विकास

2692. श्री अब्दुल रशीद शेखः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर कश्मीर में वैश्विक मानकों के अनुरूप सेब तथा अखरोट के बागानों के विकास संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) बारामूला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उत्पादों के भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग तथा निर्यात संवर्धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) बारामूला में शीतागार भंडारण अवसंरचना संबंधी प्रस्ताव तथा उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) बारामूला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सघन पौध रोपण (हाई-डेंसिटी प्लांटेशन) तथा उससे संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) तथा जम्मू एवं कश्मीर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना (जेकेसीआईपी) की उच्च घनत्व वृक्षारोपण (एचडीपी) योजना के अंतर्गत उत्तरी कश्मीर सहित पूरे जम्मू और कश्मीर में उच्च घनत्व वाले सेब के बागों को बढ़ावा दिया जाता है। ये योजनाएं गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, ट्रेलिस सपोर्ट सिस्टम, सूक्ष्म सिंचाई, ओलावृष्टि-रोधी जाल, भूमि विकास, पौध संरक्षण उपायों तथा मशीनरी को अपनाने के माध्यम से उच्च घनत्व वाले बागों की स्थापना की सुविधा प्रदान करती हैं। इस पहल का उद्देश्य शीघ्र फलधारण, फलों की बेहतर गुणवत्ता तथा बढ़ी हुई उत्पादकता सुनिश्चित करना है, ताकि उत्पादक व्यापक बाजार की आवश्यकताओं एवं वैश्विक मानकों को पूरा करने में सक्षम हो सकें।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत रोपण सामग्री तथा अन्य आदानों पर होने वाले व्यय के लिए अनुमोदित लागत मानदंडों के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 40 प्रतिशत तथा हिमालयी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की दर से प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर

क्षेत्र के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। इस सहायता में उच्च घनत्व वृक्षारोपण तथा मौजूदा बागों का कायाकल्प शामिल है। अनुमोदित लागत मानदंडों के अनुसार फ्रूट बैगिंग, वीड मैट, ओलावृष्टि-रोधी संरक्षण तथा फेंसिंग सहित अतिरिक्त घटकों के लिए भी सहायता उपलब्ध है।

(ख): कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने बारामूला जिले सहित जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से अनुसूचित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तथा सऊदी अरब जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेब, काली गाजर, भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त कश्मीरी केसर, अखरोट तथा बादाम के निर्यात को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एपीडा ने निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा विदेशी खरीदारों के बीच संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से श्रीनगर तथा जम्मू में अंतरराष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें तथा व्यापार संवाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर (एसकेयूएएसटी-के) में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी, जिससे क्षेत्र में परीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन तथा ट्रेसिबिलिटी अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा सके। बारामूला के सेब एवं अखरोट के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग): एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत बारामूला में स्थापित नियंत्रित वायुमंडल (सीए) भंडारण इकाइयों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, उत्तरी कश्मीर में सीए भंडारण अवसंरचना की स्थापना के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूंजीगत व्यय (यूटी कैपेक्स) बजट के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है। कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत कश्मीर में 28 कोल्ड स्टोरेज एवं कोल्ड चेन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

एपीडा ने बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु जम्मू और कश्मीर में एकीकृत पैकहाउस की स्थापना के लिए एपीडा-पंजीकृत निर्यातक को वित्तीय सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने वर्ष 2023-24 में बारामूला जिले में 5,832 मीट्रिक टन क्षमता वाली सीए भंडारण परियोजना के लिए 422.82 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की है।

(घ): बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में उच्च घनत्व वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र तथा सहायता प्राप्त लाभार्थियों का वर्षवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक-I

बारामूला में स्थापित की गई नियंत्रित वायुमंडल (सीए) भंडारण इकाइयां

क्र. सं.	वर्ष	इकाई/ परियोजना का नाम	क्षमता (एमटी)
1	2012-13	मैसर्स काचरू	3,500
2	2012-13	मैसर्स अल्पाइन फ्रेश आर्ट, बारामूला	3,000
3	2013-14	मैसर्स एच.एन. एग्रीचैन प्राइवेट लिमिटेड, बारामूला	5,000
4	2018-19	मैसर्स नॉर्थ फ्रेश एग्रो कोल्ड चैन प्राइवेट लिमिटेड	5,000
5	2018-19	मैसर्स नुंद्रेशी	2,000

स्रोत: राज्य बागवानी मिशन, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

अनुलग्नक-II

बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में उच्च घनत्व वृक्षारोपण कार्यक्रम

वर्ष	कवर किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	लाभार्थियों की संख्या
2016-17	13.12	26
2018-19	2.183	4
2019-20	31.48	28
2020-21	51.332	64
2021-22	15.0875	30
2022-23	28.3865	45
2023-24	19.094	45
2024-25	25.927	80
2025-26	58.036	277
कुल	**244.646**	**599**

स्रोत: राज्य बागवानी मिशन, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
